न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–अनूपपुर
निगरानी–6486/2018/अनूपपुर/ग्वा.रा.

बृजभान सोनी पुत्र श्री हरीदीन सोनी
निवासी– ग्राम अभिलिहा तहसील जिला – अनूपपुर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

1 उदयभान सोनी पुत्र श्री हीरालाल सोनी
2 चन्द्रभान सोनी पुत्र श्री हरीदीन सोनी
निवासीगण–ग्राम अभिलिहा तहसील जिला – अनूपपुर (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अपर कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 98/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2013 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 सहपठित धारा 8 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1 यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2 यहकि, ग्राम अभिलिहा तहसील अनूपपुर में स्थित बाद भूमि कुल किता 9 कुल रकवा 5.463 है0 भूमि के अभिलिखित भूमि स्वामी हरीदीन सोनी थे। हरीदीन सोनी ने अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो पुत्र आवेदक व अनावेदक क्रमांक 2 चन्द्रभान के मध्य पारिवारिक व्यवस्था पत्र लेखकर ग्राम पंचायत डोंगराटोला के समक्ष उक्त पारिवारिक व्यवस्थापत्र पेशकर दोनो पुत्र का नामान्तरण पंजी क्रमांक 6 आदेश दिनांक 23.01.1999 द्वारा नामान्तरण करा दिया था।

3 यहकि, बाद भूमियों पर भूमि स्वामी हरीदीन सोनी ने अपनी सहमति से अपने दोनों पुत्र आवेदक व अनावेदक क्रमांक 2 चन्द्रभान के नाम नामान्तरण किये जाने की सहमति दी थी।

4 यहकि, ग्राम पंचायत द्वारा किये गये नामान्तरण आदेश को अनावेदक क्रमांक 1 उदयभान सोनी ने लगभग 11 वर्ष विलंब से अनुविभागीय अधिकारी के सक्ष चुनौती दी थी। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा अपील निरस्त की थी।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6486/18/अनूपपुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	